



161

निगरानी 2620/15

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्र.क /14 निगरानी

बादल सिंह पुत्र श्री इमरत लाल निवासी  
ग्राम मझारी तहसील टप्पा बदरवास  
तहसील कोलारस जिला शिवपुरी म0प्र0

--प्रार्थी

बनाम

- 1 म0प्र0 शासन --प्रतिप्रार्थी
- 2 श्यामलाल पुत्र कालू भील निवासी ग्राम  
सालोन कृषक ग्राम मझारी तहसील टप्पा  
बदरवास तहसील कोलारस जिला शिवपुरी  
म0प्र0

--फॉर्मल प्रतिप्रार्थी

श्री. श्यामलाल PS.  
14/8/15

श्री. इमरत लाल काठेरा  
14-8-15

14-8-15

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भूराजस्व संहिता 1959 विरुद्ध  
प्रकरण क्रमांक 134/13-14/स्व.निग. में पारित आदेश दिनांक  
18.06.2014 में पारित द्वारा न्यायालय अपर कलेक्टर जिला  
शिवपुरी (म0प्र0)

श्रीमानजी,

प्रार्थी की ओर से निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है:-

निगरानी के संक्षिप्त तथ्य:-

यहकि वाद ग्रस्त कृषि भूमि स्थित ग्राम मझारी तहसील  
बदरवास परगना कोलारस जिला शिवपुरी म0प्र0 में होकर सर्वे क्रमांक  
36 रकवा 0.88है0 भूमि वर्तमान में प्रार्थी के नाम भूमि स्वामी स्वत्व पर  
दर्ज रही उक्त भूमि पर प्रार्थी के द्वारा विधिवत् प्रतिप्रार्थी क्रमांक  
2 से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से कय की है प्रतिप्रार्थी क्रमांक  
2 के द्वारा न्यायालय कलेक्टर जिला शिवपुरी के प्रकरण  
क्रमांक 73/05-06/अ 21(1) व उन्मान श्यामलाल बनाम म0प्र0  
शासन मे पारित आदेश दिनांक 26.09.2008 को विक्रय की अनुमति  
उक्त सर्वे नंबर की प्रतिप्रार्थी को प्रदान की गई थी उसके उपरांत

प्रतिपत्र  
BMM  
14-8-15

3

कमश: 02

क  
म  
ल  
री  
ण  
के  
स्तर  
में  
दिये  
ग्राम  
पुत्र  
माला  
लेख  
द्वारा  
कृषि  
उत्तर  
की  
बोर्ड  
नहीं  
की  
शर्ता  
स्तुत  
सील  
केया  
दादा  
कृषक  
को  
कषक  
पेश  
3 में  
रिक्त  
55  
5

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

क्रमांक-निगरानी-2620-तीन/2015

जिला-शिवपुरी

बादल सिंह विरुद्ध म.प्र. शासन व अन्य

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों हस्ताक्षर
28-05-2019	<p>प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से श्री सी.एम. गुप्ता अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला-शिवपुरी प्रकरण क्रमांक 134/2013-14/स्व-निगरानी में पारित आदेश दिनांक 18-06-2014 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत इस निगरानी को सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 16-07-2019 को आयुक्त के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>	<p>herv (आर0के0 जैन) 28/5/19 सदस्य</p>